रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224014
CG-DL-E-30122020-224014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4188] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942
No. 4188] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. 52/2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 05 के एक्जिम कोड 05040039 के तहत नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 4772(अ).— समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 05 के तहत नीतिगत शर्त 6 को शामिल करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत भार्त	नीतिगत शर्त
05040039	अन्य	प्रतिबंधित	आयात, आईटीसी एचएस वर्गीकरण के अध्याय 5 की नीतिगत शर्तों के अधीन है।	6. केवल सूअर के आंतों की श्लेष्मल झिल्ली [पशुओं की अंतड़ियों, मूत्राशय और पेट (मछली के अलावा), साबुत और उनके टुकड़े ताजा, शीतित, हिमशीतित, लवणित, नमकीन, शुष्कित अथवा धूमित] का आयात पशुधन आयात (संशोधन) एचएस कोड 05040039 के अधीन अधिनियम 2001 के तहत दिनांक 17.10.2014 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 2666 (अ) के अनुसार पशुपालन और डेयरी

				विभाग से सैनिटरी आयात की अनुमति प्राप्त करने के अधीन "मुक्त" है।

इस अधिसूचना का प्रभावः एचएस कोड 05040039 के तहत केवल सूअर के आंतों की श्लेष्मल झिल्ली [पशुओं की अंतड़ियों, मूत्राशय और पेट (मछली के अलावा), साबुत और उनके टुकड़े ताजा, शीतित, हिमशीतित, लवणित, नमकीन, शुष्कित अथवा धूमित] का आयात पशुधन आयात (संशोधन) अधिनियम 2001 के तहत दिनांक 17.10.2014 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 2666 (अ) के अनुसार पशुपालन और डेयरी विभाग से सैनिटरी आयात की अनुमति प्राप्त करने के अधीन 'मुक्त' की जाती है। तथापि एचएस कोड 05040039 के अधीन अन्य वस्तुओं का आयात आईटीसी–एचएस वर्गीकरण के अध्याय 5 की नीतिगत शर्तों के अनुसार प्रतिबंधित ही रहेगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/26/एएम–20/पीसी–2 [ए]/ई–23729]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

No. 52 /2015-2020

Subject: Incorporation of policy condition under Exim Code 05040039 of Chapter 05 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4772(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby incorporates new policy condition 6 under Chapter 05 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

HS Code	Item Description	Present Policy	Present Policy Condition	New Policy condition
05040039	Other	Restricted	Import is subject to policy conditions of Chapter 5 of ITC (HS) classification	6. Import of only porcine intestinal mucosa [Guts, bladders and stomach of animals (other than fish) whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked] under the HS code 05040039 is"free", subject to Sanitary Import Permit from the Department of Animal Husbandry and Dairying as per Notification S.O 2666(E) dated 17.10.2014 under the Livestock Importation Act (Amendment), 2001.

Effect of the Notification: Import of only porcine intestinal mucosa [Guts, bladders and stomach of animals (other than fish) whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked] under the HS code 05040039 is 'Free' subject to obtaining Sanitary Import Permit from the Department of Animal Husbandry and Dairying as per Notification S.O 2666(E) dated 17.10.2014 under the Livestock Importation Act (Amendment), 2001. However, Import of other items under the HS code 05040039 will continue to remain 'Restricted' subject to import policy conditions of Chapter 5 of ITC (HS) classification.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No.01/89/180/26/AM-20/PC-2[A]/E-23729]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM